न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 05 / 2020

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2020 / 00031

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कालुराम पुत्र जीवाराम कौम–दरोगा, निवासी–भलाणी साउओं की ढाणी (जैलातरा) तहसील व जिला–सांचौर		1 छगन पुत्र हेमा 2 उदा पुत्र हेमा 3 मूंगाराम पुत्र प्रेमा 4 भोमाराम पुत्र प्रेमा 5 अगराराम पुत्र प्रेमा 6 अणसी बैवा प्रेमा 7 छोगाराम पुत्र गेनाराम 8 जेरूपाराम पुत्र गेनाराम सभी जातियान–दरोगा, निवासीगण– भलाणी साउओं की ढाणी (जैलातरा) तहसील व जिला–सांचौर 9 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 26.02.2020

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 9 बावूदज तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

:– निर्णय :– दिनांक :– 18.10.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भलाणी साउओं की ढाणी में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1620 / 32 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1621 / 36 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर के आये हुए है जो राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी व मेरी माता गवरी देवी के नाम दर्जसुदा है। प्रार्थी की माता फौत हो चुकी है जिसका प्रार्थी वारिस है। उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्जसुदा व कब्जा काश्तसुदा है प्रार्थी उपरोक्त खेतों की पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी के खेतों के पड़ौसी अप्रार्थीगण हमेशा उपरोक्त खेत खसरा संख्या 1620 / 32 रकबा 0.29 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1621 / 36 रकबा 0.28 हैक्टेयर के सेढ़े नष्ट कर माठे आगे पिछे करते रहते है तथा अप्रार्थीगण हमेशा खेतों की माठे तोड़कर विवाद पैदा करते रहते है। ऐसी सूरत में प्रार्थी उपरोक्त खेतों की स्थायी सीमा[illegible] विवाद का निपटारा करवाना चाहता है। प्रार्थी के खेतों के पास अप्रार्थीगण के [illegible] आ[illegible] ए है जो हमेशा माठ तोड़ते रहते है तथा प्रार्थी के खेत में घुसने [illegible] हमेशा विवाद रहता है अतः स्थायी सीमा हल हेतु पत्थरगढ़ी [illegible] है। अतः निवेदन [illegible] मौजा भलाणी साउओं की ढाणी के खेत खसरा संख्या 1620 [illegible] 2 रकबा 0.29 हैक्टेयर, [illegible] संख्या 1621 / 36 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल रकबा 0.57 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश तहसीलदार सांचौर को दिलावें तथा पत्थरगढ़ी के वक्त शांति व्यवस्था बनी रहे इस हेतु पुलिस व्यवस्था करवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 उपस्थित आये तथा जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1620/32 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1621/36 रकबा 0.28 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण सेढ़े नष्ट कर माठें आगे पिछे करते रहते है तथा अप्रार्थीगण हमेशा खेतों की माठे तोड़कर विवाद पैदा करते रहते है ऐसी सूरत में प्रार्थी उपरोक्त खेतों की स्थायी सीमाबंदी पत्थरगढ़ी करवाकर सीमा विवाद का निपटारा करवाना चाहता है अतः प्रार्थी के उपरोक्त खेतों की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन व गलत तथ्यों पर पेश करने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश नकल जमाबंदी मौजा भलाणी साउओं की ढाणी जैलातरा के खाता नंबर 25, 13 व नकल नक्शा ट्रैस का अवलोकन किया। खसरा संख्या 1620/32 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1621/36 रकबा 0.28 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.57 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण के बीच माठ को लेकर विवाद होना प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा भलाणी साउओं की ढाणी जैलातरा के खेत खसरा संख्या 1620/32 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1621/36 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि की पैमाइश कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी को तमाम व्यव प्रार्थी स्वंय वहन करें।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **18.10.2024** को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner